कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./परियोजना/न.नि./2022/300 भिलाई, दिनांक 30/03/2022

//निविदा आमंत्रण सूचना//

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रांतर्गत पूर्व में स्थापित स्थलों पर युनिपोल स्थापना हेतु इच्छुक व्यक्ति, एजेंसी/फर्म कंपनी जो नगर निगम भिलाई में विज्ञापन एजेसी के रूप मे पंजीकृत हो से अधिकतम दर प्राप्त करने मुहरबंद लिफाफे मे दिनांक 25.04.2022 को 5:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 26.04.2022 को उपस्थित निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष 2:50 बजे आयुक्त महोदय द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। निविदा तृतीय लिफाफा पद्वती पर आधारित रहेगी। जिसका लिफाफा "अ" में निविदादाता का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, पेन कार्ड की छायाप्रति, जी.एस.टी., की छायाप्रति एवं विगत तीन वर्षो की आयकर रिर्टन की छायाप्रति तथा शपथ पत्र 100 रू का स्टाम पेपर में जिसमें इस बात का उल्लेख हो की वह किसी भी निकाय अथवा शासकीय विभाग में काली सूची में शामिल नहीं है। अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा "ब" में अमानत राशि निचे दर्शाये अनुसार का FDR जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई के पक्ष मे बना हो। लिफाफा "स" में निविदादाता द्वारा प्रत्येक समूह हेतु प्रदत्त दर होगा। तीनो लिफाफा अलग–अलग मुहरबंद कर एक बड़े लिफाफे में डालकर आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई में स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक से 25.04. 2022 को 5:00 बजे तक प्राप्त की जावेगी। विलंब से आने वाले निविदा लिफाफा पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा प्रपत्र दिनांक 19.04.2022 को 3:00 बजे तक रूपये 2000.00 का बैंक ड्राफ्ट प्रत्येक समूह के लिए जमा कर राजस्व विभाग से प्राप्त की जावेगी, उक्त राशि वापसी योग्य नहीं होगी। उपरोक्त फार्म हेतु ठेका अवधि अधिकतम 5 वर्ष होगी, जिसमें नियम–शर्तो के आधार पर प्रतिवर्ष दर वृद्वि अनुसार राशि निविदादाता द्वारा जमा की जावेगी। समूह का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमशः

क्र.	यूनिपोल स्थल का नाम	अमानत राशि (लाख में)	आपसेट प्राइस प्रति वर्गफुट
A	निगम की बाउण्ड्री (66एम.एल.डी. जल संयंत्र से नेहरू नगर चौक तक	1.00	113.00
B	नेहरू चौक मध्य से सुपेला चौक मध्य	1.00	115.00
C	सुपेला चौक मध्य से चन्द्रा मौर्या चौक मध्य	1.00	113.00
D	चन्द्र मौर्या चौक मध्य से पावर हाऊस चौक मध्य	1.00	115.00
E	पावर हाउस चौक मध्य से डबरा पारा चौक मध्य	1.00	115.00
F	निगम की बाउण्ड्री (66 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र से सुपला चौक तक) (डिजिटल यूनीपोल)	2.00	883.00
G	जुनवानी एम.आर. 9 से डी.पी.एस. जुनवानी होते हुए अवंती बाई चौक तक	0.75	113.00
H	सुन्दर नगर से छावनी चौक (गौरव पथ रोड)	0.75	113.00
I	पावर हाउस चौक से ए.सी.सी. चौक तक	0.75	113.00
J	नेहरू नगर चौक से के.पी.एस. चौक एवं के.पी.एस. से अपोलो बी. एस.आर चौक तक	0.50	97.00
K	अवंती बाई चौक के आगे से एम.आर 10 रूंगटा कालेज तक	0.50	97.00
L	पेट्रोल पंप जवाहर नगर से कालीबाड़ी चौक तथा एम.आर. 20 तक	0.50	97.00
M	सुपेला चौक से रेल्वे कासिंग तक निगम की भूमि पर	0.50	97.00
N	रेल्वे कासिंग नेहरू नगर से ग्रांड डिल्लन होटल के सामने तक	0.50	97.00

टीपः— निविदा का विस्तृत नियम व शर्तें नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाईट <u>www.bhilainagarnigam.com</u> से डाउनलोड किया जा सकता है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

निविदा प्रपत्र

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

विषय — यूनिपोल स्थापना, संधारण एवं विज्ञापन हेतु।

क्र.	यूनिपोल स्थल का नाम	अमानत राशि (लाख में)	आपसेट प्राइस प्रति वर्गफुट	निविदा दर प्रथम वर्ष के लिए राशि (प्रति वर्ग फीट)
A	निगम की बाउण्ड्री (66एम.एल.डी. जल संयंत्र से नेहरू नगर चौक तक)	1.00	113.00	
B	नेहरू चौक मध्य से सुपेला चौक मध्य	1.00	115.00	
C	सुपेला चौक मध्य से चन्द्रा मौर्या चौक मध्य	1.00	113.00	
D	चन्द्र मौर्या चौक मध्य से पावर हाऊस चौक मध्य	1.00	115.00	
E	पावर हाउस चौक मध्य से डबरा पारा चौक मध्य	1.00	115.00	
F	निगम की बाउण्ड्री (66 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र से सुपला चौक तक) (डिजिटल यूनीपोल)	2.00	883.00	
G	जुनवानी एम.आर. 9 से डी.पी.एस. जुनवानी होते हुए अवंती बाई चौक तक	0.75	113.00	
H	सुन्दर नगर से छावनी चौक (गौरव पथ रोड)	0.75	113.00	
I	पावर हाउस चौक से ए.सी.सी. चौक तक	0.75	113.00	
J	नेहरू नगर चौक से के.पी.एस. चौक एवं के.पी.एस. से अपोलो बी.एस.आर चौक तक	0.50	97.00	
K	अवंती बाई चौक के आगे से एम.आर 10 रूंगटा कालेज तक	0.50	97.00	
L	पेट्रोल पंप जवाहर नगर से कालीबाड़ी चौक तथा एम. आर. 20 तक	0.50	97.00	
M	सुपेला चौक से रेल्वे कासिंग तक निगम की भूमि पर	0.50	97.00	
N	रेल्वे कासिंग नेहरू नगर से ग्रांड डिल्लन होटल के सामने तक	0.50	97.00	

क्रमशः

निविदा की समस्त शर्तो का हमारे द्वारा पूर्ण रुप से अध्ययन कर लिया गया है एवं सभी शर्ते हमे मंजूर है। जिसके अनुसार निविदा दर में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि हमें स्वीकार है। मै यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरा या मेरी संस्था का नाम किसी भी विभाग में काली सूची में दर्ज नहीं है।

निविदाकर्ता एजेंसी का नाम –

हस्ताक्षर एवं पूर्ण नाम –

पूर्ण पता –

दूरभाष क एवं मो0 –

अमानत राशि रु. .... –

के एफ.डी.आर का विवरण

30/3/22

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

नगर पालिक निगम क्षेत्रान्तर्गत यूनीपोल निर्माण एवं विज्ञापन हेतु नियम एवं शर्तेः–

1 नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत विज्ञापन हेतु स्वयं के व्यय से यूनीपोल निर्माण एवं विज्ञापन के माध्यम से व्यय की वसूली की अवधि 05 वर्ष की होगी।

2. निविदा द्वि लिफाफा पद्धिति से होगा। लिफाफा "अ" (1) अमानत राशि का एफ.डी.आर. जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी हुआ हो। (2) निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 2000/– का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवीत पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति (4) निविदा दाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छाया प्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेसन की छाया प्रति (6) किसी भी प्रकार का बकाया नही होने संबंधी स्वप्रमाणित पत्र रखना होगा। (7) निविदा दाता किसी भी शासकीय अथवा अर्ध शासकीय संस्था में ब्लेक लिस्टेट नही है संबंधी शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा "ब" में निविदा दर डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिख कर रखना होगा। निविदा दर में कॉट छॉट नही होना चाहिए, दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सील बंदकर जमा करना होगा। लिफाफा "अ" में समस्त आवश्यक/वैध दस्तावेज पाये जाने पर ही लिफाफा "ब" (निविदा दर का लिफाफा) खोला जायेगा। सभी दस्तावेज नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। निविदा के बड़े लिफाफे में प्रेषक की सम्पूर्ण विवरण संपर्क नम्बर स्पष्ट होना चाहिए एवं सीलबंद लिफाफे स्पीट पोस्ट/पंजीकृत डांक से भेजना होगा।

3. चयनित एजेंसी द्वारा यूनीपोल का डिजाईन, ड्राईंग एवं स्टेबिलीटी रिपोर्ट किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से तैयार कर प्रस्तुत किया जावेगा। जिसे विज्ञापन हेतु गठित समिति से स्वीकृत कराना होगा।

4. निविदा हेतु प्रत्येक निविदाकार को एक निविदा फार्म भरना होगा, जिसमें समुह अनुसार अलग अलग ग्रुप के युनीपोल हेतु अलग अलग निविदा दर भरना होगा। प्रत्येक ग्रुप में जिस भी निविदाकार द्वारा अधिकतम दर प्रस्तुत किया जायेगा, उसे सफल निविदाकार माना जावेगा। अर्थात अलग –अलग समूह संलग्न पत्रक मे अंकित समूह अनुसार अलग–अलग सफल निविदाकार हो सकते है।

5. निविदा हेतु नामांकित समुह अनुसार पृथक–पृथक निविदा प्रपत्र हेतु 2000/– रू0 का डिमांड ड्राफ्ट एवं अमानत राशि का एफ.डी.आर जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया गया हो, आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से जमा करना होगा।

6. अनुबंध 05 वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पश्चात् स्वीकृत वार्षित निविदा दर में 10 प्रतिशत की क्रमोत्तर वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायेगा।

क्रमशः

7. दर स्वीकृत होने की सूचना प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर स्वीकृत हुये प्रथम वर्ष के किराया राशि का 20 प्रतिशत राशि जमा करते हुए इकरारनामा करना होगा। समयावधि में इकरारनामा न करने व कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लेक लिस्ट करने की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध करा लेने के बाद भी कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा, इस हेतु निविदा प्राप्तकर्ता एजेंसी को पृथक से कार्यादेश जारी किया जायेगा। कार्यादेश जारी दिनांक से किराया लागू माना जावेगा।
8. निविदा 05 वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है परन्तु निविदा राशि निविदा प्रपत्र में 01 वर्ष के लिए भरनी होगी। निविदा स्वीकार होने पर स्वीकृति की सूचना प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर स्वीकृत एवं प्रथम वर्ष की किराया राशि का 20 प्रतिशत जमा करते हुए इकरानामा करना अनिवार्य होगा। तथा शेष 80 प्रतिशत राशि कार्यादेश दिनांक से 4.5 माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक आगामी वर्ष का किराया वर्ष प्रारंभ होने के 1 माह पूर्व वृद्धि सहित जमा करना होगा। भुगतान तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर निगम को होगा।
9. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित है।
10. सशर्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
11. यूनीपोल आंधी तुफान या अन्य किसी कारण से आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने से जन/धन की हानि होने पर स्वयं जिम्मेदार होने के संबंध में निविदाकार को विज्ञापन (पंजीयन एवं विनिमय) उपविधि 2012 के प्रारूप में वचनबद्ध 50 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर हस्ताक्षर कर नोटराईज्ड कराकर, अनुबंध के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
10. यूनीपोल में विद्युत कनेक्शन हेतु सफल निविदाकार/एजेंसी को अनापत्ति पत्र दिया जा सकेगा। विद्युत कनेक्शन निविदाकार को स्वयं के व्यय पर लेना होगा एवं देयकों का भुगतान उसे स्वयं करना होगा।
11. निविदा प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा यूनीपोल पर प्रचार-प्रसार करने के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी/फर्म को हस्तांतरित नही किया जा सकेगा।
12. अन्य दुसरे विभागों से अनुमति लेने की स्थिति में एजेंसी स्वयं के व्यय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।
13. निविदाकार एजेंसी स्थापित यूनीपोल में शासन द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं एवं अश्लील विज्ञापनों का प्रदर्शन नही करेगा। ऐसा पाये जाने पर अनुबंध निरस्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
14. निविदाकार किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय या नगरीय निकाय आदि में कालीसूची में दर्ज न हो।
15. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

क्रमशः

16. अमानत राशि का एफ.डी.आर. निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेंसी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा एफ.डी.आर. को नियमानुसार सफल निविदाकार को होने के पश्चात मुक्त किया जा सकेगा एवं सफल निविदाकार द्वारा अन्तर की अमानत राशि का एफ.डी.आर जमा करना होगा। निविदाकार के सफल संचालन एवं संधारण के साथ निविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत नियमानुसार वापस किया जा सकेगा। 2
17. निविदा दर जी.एस.टी. सहित माना जायेगा। इसके लिए अलग से जी.एस.टी. राशि एजेंसी को देय नही होगा।
18. एजेंसी द्वारा स्थापित यूनीपोल का संधारण एवं अन्य व्यवस्थाएं एजेंसी स्वयं के व्यय से करेगी।
19. नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर अनुबंध तत्काल निरस्त कर यथास्थिति में अधिपत्य प्राप्त कर राजसात कर लिया जावेगा। जिसमें हर्जाना एवं दावा मान्य नही होगा।
20. एजेंसी को नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा विज्ञापन फलक लगाने की अनुमति अस्थायी रूप से 05 वर्ष के लिए होगी। किसी भी प्रकार की प्रशासनिक असुविधा अथवा जनहित में नगर पालिक निगम भिलाई को अधिकार होगा। कि सात दिवस पूर्व सूचना देकर विज्ञापन हटा सकेगी। जिसका किसी भी प्रकार का हर्जाना या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार एजेंसी को नही होगा।
21. एजेंसी को उपविधि विज्ञापन उपविधि 2012 तथा समय–समय जारी नियमों का पालन करना होगा।
22. नगर पालिक निगम भिलाई के योजनाओं/अन्य आवश्यक सूचना के प्रचार–प्रसार करने हेतु वर्ष में 15 दिवस के लिए यूनीपोल में विज्ञापन निःशुल्क लगाया जाना एजेंसी का दायित्व होगा।
23. निर्मित यूनीपोल पर एजेंसी के द्वारा विज्ञापन फलक या विद्युत का कार्य किए जाते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है उसकी समस्त जवाबदारी एजेंसी की होगी।
24. यह कि अनुबंध 05 वर्षों के लिए होगा तथा अनुबंध समाप्त होने पर अमानत राशि वापस कर दिया जावेगा। यदि एजेंसी से बकाया राशि लेना शेष होगा तो उसे धरोहर राशि से कटौती कर लिया जावेगा।
25. युनीपोल स्थापना के पूर्व लगाए जाने वाले पोल का विस्तृत ड्राइंग डिजाईन को नगर पालिक निगम भिलाई में गठित विज्ञापन समिति (जिसमें जोन स्तर पर अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में जोन के कार्यपालन अभियंता के सहायक अभियन्ता एवं राजस्व प्रभारी सदस्य होंगे) से प्रमाणित कर जमा किया जाना अनिवार्य होगा। निगम से अनुमति उपरांत कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।
26. यूनीपोल स्थापना का कार्य सक्षम इंजीनियर की देखरेख में कराया जाना आवश्यक होगा। तथा उसका सत्यापन गठित विज्ञापन समिति द्वारा किया जाना होगा। जिससे किसी संभावित दुर्घटना से बचाव किया जा सके।
27. यूनीपोल हेतु स्थल का चयन एजेंसी एवं विज्ञापन समिति के संयुक्त निरीक्षण उपरांत किया जाएगा।
28. यूनीपोल हेतु दर, समूह अनुसार पृथक–पृथक कोट किया जाना होगा।
29. यूनीपोल स्थापना हेतु कार्यादेश निविदा की अंतिम तिथि से 45 दिवस में दिया जावेगा।
30. यूनीपोल स्थापना पश्चात् स्टेबिलीटी रिपोर्ट जो कि किसी स्ट्रक्चरल इंजिनीयर द्वारा तैयार किया गया हो, विज्ञापन समिति से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

गठित समिति में कर्तव्य एवं अधिकार निम्नानुसार रखे जाने हेतु सुझाव प्रेषित है।

समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण

1	अधीक्षण अभियन्ता (जिनके प्रभार में उक्त जोन है)	– अध्यक्ष
2.	कार्यपालन अभियंता (संबंधित जोन के)	– सदस्य
3.	सहायक अभियन्ता (संबंधित जोन के)	– सदस्य
4.	सहायक राजस्व अधिकारी	– सचिव सह सदस्य

समिति के दायित्व :–

1. यूनिपोल हेतु निविदा में चयनित जोन अनुसार उक्त समूह में जिन–जिन स्थल पर कितने यूनिपोल लगेंगे तथा उनकी अधिकतम ऊचाई एवं साईज क्या होगी इस संबंध में प्रतिवेदन समिति गठन की तिथि से 20 दिवस के भीतर अनिवार्यरूप से विज्ञापन अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे।
2. निविदा उपरांत उक्त स्थल पर लगाए जाने वाले यूनिपोल हेतु निविदाकार द्वारा अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर के माध्यम से प्रस्तुत ड्राईंग, डिजाईन एवं स्टेबिलीटी रिपोर्ट का परीक्षण कर अपना रिपोर्ट 03 दिवस विज्ञापन अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगें।
3. बिन्दु कमांक 02 मे यह स्पष्ट प्रतिवेदन होगा कि उपरोक्त स्ट्रक्चर हर दृष्टिकोण से सुरक्षित है एवं भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना नही है।
4. निविदाकार द्वारा उक्त स्ट्रक्चर के निर्माण के समय कमेटी के सदस्य उसका निरीक्षण करेंगे एवं यह सत्यापित करेंगे कि निर्माण कार्य स्वीकृत मापदण्ड के आधार पर एवं उचित गुणवत्ता का किया जा रहा है।
5. यदि निविदाकार द्वारा किसी भी स्थिति में समिति का निर्देश का पालन नही किया जाता तो कमेटी लिखित प्रतिवेदन विज्ञापन अधीक्षक को देगा एवं संबंधित निविदाकार के विरूद्ध विधिवत कार्यवाही की जावेगी।
6. उपरोक्त सभी कार्य हेतु निर्धारित अवधि का विशेष ध्यान समिति द्वारा रखा जाना होगा। जिससे कि निविदाकार द्वारा समयसीमा के भीतर अपना कार्य किया जा सके।

समूह	समूह का नाम
A	निगम की बाउण्ड्री (66एम.एल.डी. जल संयंत्र से नेहरू नगर चौक तक)
B	नेहरू चौक मध्य से सुपेला चौक मध्य
C	सुपेला चौक मध्य से चन्द्रा मौर्या चौक मध्य
D	चन्द्र मौर्या चौक मध्य से पावर हाऊस चौक मध्य
E	पावर हाउस चौक मध्य से डबरा पारा चौक मध्य
F	निगम की बाउण्ड्री (66 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र से सुपला चौक तक) (डिजिटल यूनीपोल)
G	जुनवानी एम.आर. 9 से डी.पी.एस. जुनवानी होते हुए अवंती बाई चौक तक
H	सुन्दर नगर से छावनी चौक (गौरव पथ रोड)
I	पावर हाउस चौक से ए.सी.सी. चौक तक
J	नेहरू नगर चौक से के.पी.एस. चौक एवं के.पी.एस. से अपोलो बी.एस.आर चौक तक
K	अवंती बाई चौक के आगे से एम.आर 10 रूंगटा कालेज तक
L	पेट्रोल पंप जवाहर नगर से कालीबाड़ी चौक तथा एम.आर. 20 तक
M	सुपेला चौक से रेल्वे कासिंग तक निगम की भूमि पर
N	रेल्वे कासिंग नेहरू नगर से ग्रांड डिल्लन होटल के सामने तक

वचनबन्ध

(विज्ञापनकर्ता–आवेदक द्वारा विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन)उप–विधियां, 2012 की उपविधि–7(10) के अंतर्गत गैर–न्यायिक स्टाम्प पत्र पर इन विधियों की उप–विधि (4) के अंतर्गत नियुक्त अधिक्षक को प्रस्तुत किया जाना है।)

..............................नगर पालिक निगम द्वारा मुझे/हमें नगर पालिक निगम विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उपविधि, 2012 की उप–विधि 7 के निबंधन में विज्ञापन अधिकार प्रदान किये जाने के एवज में निगम के क्षेत्र .... के जोन ....में व्यापार/व्यवसाय की सुरक्षित प्रेक्टीस हेतु मैं/हम ....अधो–हस्ताक्षरकर्ता सत्य–निष्ठापूर्वक निम्नलिखित वचन देते और घोषणा करते हैं–

1. यह की मैं/हम होर्डिंग्स को सदा अत्यंत सुरक्षित रूप से प्रदर्शित करूंगा /करेंगें और होर्डिंग्स की पूरी सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करूंगा/करेंगें।
2. यह की मै निगम क्षेत्र के किसी भी स्थान में स्वयं के द्वारा प्रदर्शित विज्ञापन के कारण किसी व्यक्ति या सम्पति को किसी क्षति, चोट या हानि भले ही वह किसी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा अथवा मेरी स्वंय की असावधानी से हो, की भरपाई के निमित पर्याप्त राशि का तृतीय पक्ष का बीमा करवाऊंगा।
3. उपर्युक्त खण्ड (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मैं/हम निगम क्षेत्र के किसी भी स्थान पर अपने द्वारा प्रदर्शित किसी विज्ञापन से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को होने वाली किसी प्रकार की क्षति, चोट या हानि, भले ही वह किसी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा अथवा मेरी स्वयं की असावधानी से हो, की भरपाई हेतु सम्पूर्ण रूप से दायित्वाधीन रहुँगा/ रहेंगें।
4. यह की मैं/ हम मात्र ऐसी संख्या स्थानों और तरीके से विज्ञापन प्रदर्शित करेंगें जैसा की आयुक्त द्वारा विहित किया जाये तथा जिससे न तो पैदल चलने वाले को और न यातायात में व्यवधान या परेशानी हो और न ही उनकी रोशनी से ऑखे चौधिंयाने व अन्य किसी प्रकार का नुकसान पहुँचे । तथा यदि अधीक्षक द्वार ऐसी स्थिति पाई जाये या मुझे/हमें लिखित रूप से सुचित किया जावें तो मैं/हम अधीक्षक की संन्तुष्टि अनुसार आवश्यक सुधारात्मक उपाय करूंगा/करेंगें।
5. यह कि अधीक्षक द्वारा मुझे/हमें लिखित में उपर्युक्त (4) के अन्तर्गत स्थिति सूचित करने के उपरांत 72 घण्टों के भीतर मेरे/हमारे द्वारा किन्ही भी कारणों से सुधारात्मक उपाय न कर पाने पर उस दोष को दूर करने और /अथवा होर्डिंग्स को हटा देने के लिए अधीक्षक स्वंतंत्र होगा और मैं/ हम इस संबंध में निगम द्वारा लिखित में मांगे गये खर्च और शास्ति के भुगतान हेतु दायित्वाधीन रहूँगा/ रहेंगें ।

6. यह कि किसी स्थल पर होर्डिंग्स के प्रदर्शन करने और /अथवा होर्डिंग्स लगाने हेतु कोई संरचना/ढांचा खड़ी करने से पूर्व मैं/हम उस भूमि/भवन के स्वामी की विशिष्टियां सुनिश्चित करूँगा/करेंगे।
7. यह कि विद्युत अथवा अन्य विभाग के खम्भों पर होर्डिंग्स को श्रृखंलाबद्ध रूप से लगाने के संबंध में मैं/हम संबंधित विभाग /प्राधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करूँगा/करेंगें व किराए और अन्य शुल्क, यदि कोई हो तो के निर्धारण एवं भुगतान के बाद ही होर्डिंग्स लगाने की दिशा मेंआगे बढ़ूँगा/बढ़ेगें।
8. यह कि मैं/हम इसे भली भाँती समझता हूँ/समझते हैं और स्वीकार करता हूँ /करतें हैं कि निगम क्षेत्र में मेरे /हमारे द्वारा प्रदर्शित किये जाने वाले होर्डिंग्स पर किसी व्यक्ति द्वारा चिपकाये अथवा /अन्यथा विकृत किए जाने या नुकसान पहुँचाने पर निगम की जिम्मेदारी नहीं हैं तथा मेरे /हमारे द्वारा निगम को इस हेतु उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा लेकिन इस प्रकार होर्डिंग्सं को विकृत करने तथा/ या नुकसान पहुँचाने हेतु जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ विधि के अनुसार कानूनी कार्यवाही करने के अपने अधिकार को मैं/हम सुरक्षित रखता हूँ/रखते है।
9. यह कि जब कभी अधीक्षक होर्डिग्सं के स्थल और/या उसको मजबूती देने वाले ढ़ांचे का निरीक्षण करना चाहें तो मैं/ हम अपने खर्चे पर ऐसा निरीक्षण आयोजित करूंगा/करेंगें।
10. यह कि जब कभी अधीक्षक द्वारा किसी होर्डिग्सं और/ या उसको मजबूती देने वाले ढाँचे की सुरक्षा और स्थिरता के बारे में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखित में निर्देश दिया जाएगा तब मैं/हम अपने व्यय पर अधीक्षक की सम्पूर्ण सन्तुष्टि अनुसार ऐसा प्रमाण–पत्र प्राप्त करूंगा/ करेंगें और उसे प्रस्तुत करूंगा/ करेंगें।
11. यह कि मैं/हम निगम को विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप–विधि 2012 की उप–विधि 08 के अनुरूप जैसे की विहित और लागू हो, होर्डिग्सं शुल्क का भुगतान निश्चित समय के अंदर करूंगा/करेंगें।
12. यह कि मैंने /हमने विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप–विधि 2012 के उद्धेश्य, आशय और प्रयोजन को पढ़ एवं समझ लिया है और मैंने /हमने इन उप–विधियों के अन्तर्गत समस्त अपेक्षाओं को अंकित कर लिया है। और यह कि मैं/हम इन उप–विधियों का सम्पूर्ण और भली भाँती अनुपालन करने को वचनबद्ध हूँ/हैं।
13. मै/हम यह मानता हूँ/मानते हैं तथा स्वीकार करता हूँ/करते है कि जान बूझ कर इन उप–विधियों में अंतर्विष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करने पर आयुक्त द्वारा मुझे/हमे सम्पूर्ण प्रदेश में काली सूचिबद्ध करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

14. यह कि सभी प्रकार की सूचनाओं और अन्य पत्राचार के प्रयोजन हेतु मेरा/हमारा संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है–

नाम :–
पदनाम :–
पता :–
दूरभाष क्र. :– (मोबाईल/लैण्डलाइन)
फैक्स नं. (यदि हो)
ई मेल आई डी

मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया एवं मेरे/हमारे द्वारा निम्नांकित गवाहों की मौजूदगी में दिनांक .... माह........... को ....स्थान ....में........ .... निगम को प्रदान किया गया ।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नाम और पदनाम